

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 22.5. 2013

संख्या-3/एम-102/2007-सां०प्र०...8041/ भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा-शर्त) नियमावली, 2010" (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- (1) यह नियमावली "बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा-शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2013" कही जा सकेगी।

(2) यह तुरत प्रवृत्त होगी।


2. उक्त नियमावली के नियम-6 के उपनियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:-

"परन्तु बिहार भवन एवं बिहार निवास, नई दिल्ली में भर्ती हेतु पैनल तैयार करने के प्रयोजनार्थ, एक चयन समिति का गठन प्रधान स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार द्वारा किया जाएगा।"

3. उक्त नियमावली के नियम-6 के उपनियम (3) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:-

"परन्तु बिहार भवन एवं बिहार निवास, नई दिल्ली में भर्ती हेतु पैनल तैयार करने के प्रयोजनार्थ, एक चयन समिति का गठन प्रधान स्थानिक आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार द्वारा किया जाएगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(बशिष्ठ सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -3/एम0-102/2007सां०प्र०...8041/

पटना-15, दिनांक 22.5. 2013

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।




(बशिष्ठ सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -3/एम0-102/2007सां०प्र०...8041/

पटना-15, दिनांक 22.5. 2013

प्रतिलिपि - सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/महाधिवक्ता का कार्यालय, पटना/राज्य अभिलेखागार, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/लोकायुक्त कार्यालय, पटना/प्रभारी, आई0डब्लू0डी0एम0एस0, टी0सी0एस0 कोषांग, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(बशिष्ठ सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।


सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-

संख्या-3/एम-102/2007-GAD 8042/ अधिसूचना सं-8041 दिनांक-22-5-13 का निम्नलिखित अंगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(बशिष्ठ सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

Government of Bihar  
General Administration Department

NOTIFICATION

Patna, Dated- 22-5 - 2013

No.3/M-102/2007-GAD- 8041 /In exercise of Powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, is pleased to make the following amendment Rules (as amended time to time) to amend the Bihar Group 'D' (recruitment & service condition) Rules, 2010:-

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) These Rules may be called The Bihar Group 'D' (recruitment & service condition) (amendment) Rules, 2013.

(2) It shall come into force at once.

2. **The following Proviso shall be added to sub rule (2) of Rule 6.-**

“Provided that for the purpose of preparation of panel for recruitment in Bihar Bhawan and Bihar Niwas, New Delhi, the selection committee shall be constituted by the Principal Resident Commissioner /Resident Commissioner, Bihar.”

3. **The following Proviso shall be added to sub rule (3) of Rule 6 as below.-**

“Provided that for the purpose of preparation of panel for recruitment in Bihar Bhawan and Bihar Niwas, New Delhi, the selection committee shall be constituted by the Principal Resident Commissioner /Resident Commissioner, Bihar.”

By the order of the Governor of Bihar,



(Bashishth Singh)

Joint Secretary to the Govt.

पटना-15, दिनांक 22-5-2013

ज्ञापक -3/एम0-102/2007सां प्र० 8042 /

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।



( बशिष्ठ सिंह )

सरकार के संयुक्त सचिव